कार्यालय जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर।

पत्रांकः 4752 /नाजिर/कले0 परि0–साईकिल/मो0 साई0 स्टैण्ड–नीलामी/2019 दिनांक 05 मार्च, 2019

नीलामी सूचना

कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित साईकिल/मोटर साईकिल स्टैण्ड की नीलामी वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए निम्नलिखित शर्तों के अनुसार की जानी हैः–

01– साईकिल/मोटर साईकिल स्टैण्ड की नीलामी में रू0– 5000.00 (रूपये पांच हजार) मात्र की धरोहर धनराशि बोलीदाताओं द्वारा नीलामी कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व जमा करनी होगी। (बैंक ड्राफट के रूप अथवा नकद)

02– नीलाम में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को चरित्र प्रमाण–पत्र/चरित्र के सम्बन्ध में शपथ पत्र तथा हैसियत प्रमाण रूपये दों लाख का अथवा दो लाख रूपये की एफ0डी0/एन0एस0सी0 बन्धक के रूप में प्रस्तुत करना होगा।

03– नीलाम के तुरन्त बाद अधिकतम बोलीदाता को बोली का 1/4 भाग धनराशि तुरन्त जमा करना होगा। शेष 3/4 भाग धनराशि को माह जून, 2019 तक जमा करना होगा। धनराशि न जमा करा पाने की स्थिति में जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी तथा दूसरे स्थान वाले बोलीदाता को अवसर दिया जायेगा।

04– साईकिल/मोटर साईकिल स्टैण्ड की सुरक्षा की व्यवस्था ठेकेदार कों स्वंय सुनिश्चित करना होगा।

05– साईकिल/मोटर साईकिल स्टैण्ड का परिसर "धुम्रपान निषेध" स्थल होगा। अर्थात न तो संचालक व उनके कर्मचारी धुम्रपान करेंगें और न ही ग्राहक परिसर में धुम्रपान करेंगें। यदि इस संबंध में कोई उल्लंघना पाया जाता है तो संचालक सीधे रूप से उत्तरदायी माना जायेगा।

06– साईकिल/मोटर साईकिल स्टैण्ड प्रातः 09 बजे से सांय 06 बजे तक खुला रहेगा।

07– साईकिल/मोटर साईकिल स्टैण्ड पर प्रति साईकिल 02 रूपये प्रति मोटर साईकिल 05 रूपये एंव चार पहिया वाहन के 10 रूपये से अधिक वसूली नहीं की जायेगी।

08– स्टैण्ड से साईकिल व मोटर साईकिल गायब होने की दशा में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।

09– साईकिल/मोटर साईकिल स्टैण्ड संचालक व उसके कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा कि वे पूर्व में कभी भी अपराधिक गतिविधियों में न तो संलग्न हुये हैं और न ही भविष्य में होंगें।

10– साईकिल/मोटर साईकिल स्टैण्ड संचालक किसी भी स्थिति में 18 वर्ष से नीचे के उम्र वाले लड़कों को कार्य में संलग्न नहीं करेगा।

11– साईकिल/मोटर साईकिल स्टैण्ड संचालक लेबर एक्ट व अन्य संबंधित नियमों/दिशा निर्देशों/शासनादेशों का कड़ाई से पालन करेगा।

12– साईकिल/मोटर साईकिल स्टैण्ड संचालक स्टैण्ड परिसर में बिजली उपभोग के लिये अलग से एक विद्युत कनेक्शन लेकर मीटर स्थापित करायेगा।

13– यह नीलामी वित्तीय वर्ष 2019–20 के दिनांक 31–03–2020 तक प्रभावी होगी।

14– नीलाम बोली की स्वीकृति/अस्वीकृति करने का पूर्ण अधिकार जिलाधिकारी महोदय का होगा।

15– ऊपर कमांक 01 से 14 में वर्णित शर्तों की उल्लघंना में साईकिल/मोटर साईकिल स्टैण्ड संचालक या/व अन्य संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी जिसका परिणाम जमानत राशि व नीलामी राशि जब्त करना, कार्य/सेवा का निरस्तीकरण, कानूनी कार्यवाही आदि हो सकेगी। इसके लिये जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी विहित प्राधिकारी होंगें।

नीलाम अधिकारी/
अपर जिलाधिकारी
अम्बेडकरनगर।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01– जिलाधिकारी महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।

02– तहसीलदार, अकबरपुर/टाण्डा/जलालपुर/आलापुर/भीटी, अम्बेडकरनगर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

03– अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, अकबरपुर/टाण्डा/जलालपुर एंव नगर पंचायत, इल्तिफातगंज/किछौछा को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

04– नाजिर, कलेक्ट्रेट, अम्बेडकरनगर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

05– नाजिर, विकास भवन, अम्बेडकरनगर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

नीलाम अधिकारी/
अपर जिलाधिकारी
अम्बेडकरनगर।